

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 15/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 28 मार्च, 2019

सा.का.नि.....(अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 45 के उपनियम (3) के अनुसरण में और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि.1255(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 78/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 31 दिसंबर, 2018 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान किसी छुटपुट काम करने वाले कर्मकार को प्रेषित या किसी छुटपुट काम करने वाले कर्मकार से प्राप्त माल के संबंध में, उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआईटीसी-04 में घोषणा देने की समय-सीमा को 30 जून, 2019 तक बढ़ाते हैं ।

[फा.सं.20/06/12/2018-जीएसटी]

(गौरव सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार